साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू–अर्जन शाखा, साहेबगंज
समाहर्त्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

एल0ए0 वाद संख्या 34 /2018–19/ 917 /भू0अ0, साहेबगंज दिनांक – 23.11.18

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि **मौजा – भटशाल, थाना – राजमहल, थाना सं0 – 17, अंचल – राजमहल, जिला – साहेबगंज** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **महाराजपुर–तालझारी–कल्याणचक–पड़रिया मोड़ तीनपहाड़ आर0ओ0बी0–बाकुडीह–शर्मापुर मोड़ पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य** परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **मौजा– भटशाल, थाना–राजमहल, थाना सं0–17, अंचल–राजमहल** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश – **0.582** एकड़ यानि------हेक्टेयर मानक माप का भूखण्ड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नालिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखण्ड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	22	13	रैयती	धानी 2	0.115	सावित्री देवी पति – हरवंश ठाकुर सा0 – वेलदार चक	नाला	P 14	सड़क	नीज
2	24	14	रैयती	धानी 2	0.031	हरिनारायण यादव पिता – स्व0 गगन राम यादव सा0 – वेलदार चक व विनोद कुमार चौधरी पिता – वसन्त चौधरी व श्रीमति विभा चौधरी पति – विनोद कुमार चौधरी सा0 – लालमाटी	P 13	P 15	सड़क	नीज
3	43	15	रैयती	धानी 2	0.016	साकरा बेगम पति – मो0 मुख्तरीम मखानी व ध्रुव भगत पिता – स्व0 नथुनी प्रसाद भगत सा0 – भरतिया कॉलोनी, साहेबगंज	P 14	P 16	सड़क	नीज
4	1	16	रैयती	धानी 2	0.005	विनोद कुमार चौधरी पिता – बसन्त लाल चौधरी सा0 – लालमाटी	P 15	P 17	सड़क	नीज
5	24	17	रैयती	धानी 2	0.003	ओम प्रकाश चौधरी पिता – व बबलु यादव, डब्बु यादव पिता – लोथन यादव सा0 – लालमाटी	P 16	नाला	सड़क	नीज
6	14	31	रैयती	धानी 2	0.065	बसन्त लाल व सांवल चौधरी पिता – स्व0 राम कुमार चौधरी सा0 – लालमाटी	P 24	P 33	सड़क	P 30
7	24	28	रैयती	धानी 2	0.074	चिगुडी यादव पिता – स्व0 फागु यादव सा0 – लालमाटी व बबलु यादव व डब्बु यादव पिता – लोथन यादव सा0 – भटसाल	नाला	P 31	सड़क	नाला
8	14	33	रैयती	बाड़ी 2	0.063	सुनिता तिवारी पति – धनंजय तिवारी सा0 – राजमहल	P 31	P 34	सड़क	P 34
9	14	34	रैयती	धानी 2	0.009	चिगुडी यादव पिता – स्व0 फागु यादव सा0 – लालमाटी	P 33	P 35	सड़क	नीज
10	10	35	रैयती	धानी 2	0.038	भोला यादव, सुरेश यादव पिता – स्व0 शिव यादव सा जयरामडांगा व ज्ञान प्रकाश यादव पिता – जगदीश यादव सा0 – लालमाटी	P 34	P 40	सड़क	नीज

11	6	40	रैयती	बाड़ी 2	0.038	महम्मद शहीद आलम पिता – महम्मद जाकिर सा0 – विसनपुर	P 35	P 150	सड़क	नीज
12	16	150	रैयती	धानी 2	0.035	सदरूल हक पिता – स्व0 सगबुल मियां सा0 – लालमाटी व जगमय साव पिता – विन्देश्वरी साव व सुरेश यादव पिता – लीवन यादव सा0 – निजग्राम	P 40	P 151	सड़क	नीज
13	42	151	रैयती	धानी 2	0.046	महम्मद शहीद आलम पिता – महम्मद जाकिर सा0 – विसनपुर	P 150	P 152	सड़क	नीज
14	36	152	रैयती	धानी 2	0.011	बलराम मंडल, हरी मंडल व सीतल मंडल पिता – धुरी मंडल सा0 – मसकलेया	P 151	P 154	सड़क	नीज
15	18	154/1	रैयती	धानी 2	0.005	सीराज अंसारी पिता – जाकीर अंसारी सा0 – विसनपूर तालझारी	P 152	P 156	सड़क	नीज
16	18	154/2	रैयती	धानी 2	0.005	साही अंसारी पिता – जाकीर अंसारी सा0 – विसनपूर	P 152	P 156	सड़क	नीज
17	18	154/3	रैयती	धानी 2	0.004	ज्ञान प्रकाश यादव पिता – जगदीश यादव सा0 – लालमाटी	P 152	P 156	सड़क	नीज
18	23	156	रैयती	धानी 2	0.019	मो0 निजामुद्दीन अंसारी पिता – वाजउद्दीन अंसारी पिता – वमाहारूद्दीन व मो0 रियाउद्दीन मो0 निजामुद्दीन पिता – स्व0 वाजीउद्दीन सा0 – तालझारी	P 154	शिवाना विसुनपुर	सड़क	नीज
				कुल रकवा –	**0.582**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या–30/2013), की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता –सह– समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों ..... को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

23/11/18

उपायुक्त,
साहेबगंज।